रजि. सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2015/वैशाख 17, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 20
No. 57] DELHI, THURSDAY, MAY 7 2015/VAISAKHA 17, 1937 [N.C.T.D. No. 20

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2015

सं. फा. 03(14)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/डी.स.-VI/336.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2205 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	कर एवं व्यापार विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदनाम
1.	श्री मनीष रंजन	18-03-2015	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	श्री गुडाकेश कुमार	18-03-2015	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2015

No. F. 3(14)/Fin(Rev-I)2012-13/dsvi/336.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax

Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following c effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in DT and T	Appointed as
1.	Sh. Manish Ranjan	18/03/2015	Assistant Value Added Tax Officer
2	Sh. Gudakesh Kumar	18/03/2015	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2015

सं. फा. 2(6)/06/डी.सी./इएनएफटी/3947-52.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पठित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आर. ए. सिंह, निदेशक, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रसाधन सामग्रियों एवं औषधियों, जिसमें उक्त नियमावली की अनुसूची ग एवं ग-1 में विनिर्दिष्ट औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित है, औषधि की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर के परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिये सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

1. सीरा
2. सीरम का सोलूशन/प्रोटीन जो इंजेक्शन के रूप में प्रयोग की जाये।
3. वैक्सीन्स
4. टॉक्सिंस
5. एंटीजंस
6. एंटी टॉक्सिंस
7. स्टेरलाइज्ड सर्जिकल लिंगेचर तथा स्टेरलाइज्ड स्यूचर
8. बैक्टीरियोफेजिज
9. एंटी-सीरा वेटेनरी प्रयोगार्थ
10. वैक्सीन्स वेटेनरी प्रयोगार्थ
11. टॉक्सिंस वेटेनरी प्रयोगार्थ
12. डायग्नोस्टिक एंटीजन्स वेटेनरी प्रयोगार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुषमा सिंह, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2015

No. F. 2(6)/06/DC/Enft/3947-52.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), read with clause (i) of rule 2 of the Drugs and Cosmetic Rules, 1945, and prior consent of the Central Government, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Dr. R. A. Singh, Director, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare, as Government Analyst for the National Capital Territory of Delhi for carrying out the tests and analysis of cosmetics and drugs including those specified in Schedule C and C-I of the said Rules, except the classes of drugs mentioned below, namely :—

1. Sera
2. Solution of Serum / Proteins intended for injection
3. Vaccine
4. Toxins
5. Antigens
6. Anti-Toxins
7. Sterilized Surgical Ligature & Sterilized Suture
8. Bacteriophages
9. Anti-Sera for Veterinary use
10. Vaccines for Veterinary use
11. Toxins for Veterinary use
12. Diagnostic Antigens for Veterinary use.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SUSHMA SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054